राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: प.1(14)सा.प्र./3/78 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 20.4.92

परिपत्र

विषय:- अधिशेष कर्मचारी गण बाबत ।

राजकीय विभागों में पदों की समाप्ति के फलस्वरूप जो कर्मचारी अधिशेष (सरप्लस) हो जाते हैं उनके आमेलन के लिए कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आमेलन) नियम, 1969 के तहत की जाती है। इन नियमों के अनुसरण में जारी इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20-5-78 सहपठनीय आदेश दिनांक 31-7-82 तथा 1-6-88 (प्रतिलिपि संलग्न) के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी को अधिशेष कर सामान्य प्रशासन विभाग अथवा जिला कलेक्टर के पास आमेलन के लिए भेजने से पहले कुछ आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित है जिनकी पूर्ति किया जाना आवश्यक है ।

लेकिन, प्राय: यह देखने में आया है कि इस हेतु बार-बार स्मरण कराए जाने के पश्चात् भी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं कराई जाती है जिसके अभाव में कर्मचारी अधिशेष होने योग्य है अथवा नहीं की जांच किया जाना सम्भव नहीं होता है ।

इस समस्या के स्थाई निराकरण हेतु, पूर्वोक्त आदेशों के परिपेक्ष्य में एक जांच सूची (Check list) तैयार की गई है जो इस परिपत्र के साथ संलग्न है ।

अत: अब समस्त विभागाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी कृपया भविष्य में किसी भी कार्मिक को अधिशेष करने से पूर्व वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करा लें कि इस हेतु उक्त जांच सूची में उल्लेखित बिन्दुओं की पूर्ति करा ली गई है अथवा नहीं । सुविधा हेतु कृपया बिन्दूवार पूर्ति का प्रमाण पत्र संलग्न कराए । स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में जांच सूची के अनुसार उपयुक्त पाए जाने पर ही कार्मिक को अधिशेष स्वीकार किया जायेगा ।

20/4

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
2. सचिवालय के समस्त विभाग ।
3. समस्त सम्भागीय आयुक्त ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर ।

अनुभागाधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
3. पंजीयक, राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर/जोधपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त, सचिवालय, जयपुर ।
5. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
7. रजिस्ट्रार, राज. सैल्स टैक्स ट्रिब्यूनल, अजमेर ।

अनुभागाधिकारी